[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i)]

Government of India

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

Notification

New Delhi, 5th July, 2018

G.S.R. (E).—In exercise of the powers conferred under second proviso to sub-section (1), sub-section (4), clause(f) of sub-section (6) of section 149, sub-section (3) and (4) of section 150, section 151, sub-section (5) of section 152, section 153, section 154, section 157, section 160, sub-section (1) of section 168 and section 170 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, namely: -

1. (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualification of Directors) fourth Amendment Rules, 2018.

   (2) They shall come into force from **10th July, 2018.**

2. In the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014,

   (i) The rule 11 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rules shall be inserted, namely:-

"(2) The Central Government or Regional Director (Northern Region), or any officer authorised by the Central Government or Regional Director (Northern Region) shall, deactivate the Director Identification Number (DIN), of an individual who does not intimate his particulars in e-form DIR-3-KYC within stipulated time in accordance with rule 12A:

(3) The de-activated DIN shall be re-activated only after e-form DIR-3-KYC is filed along with fee as prescribed under Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014.

(ii) after rule12, the following shall be inserted, namely:-

"12A Directors KYC:- Every individual who has been allotted a Director Identification Number (DIN) as on 31st March of a financial year as per these rules shall, submit e-form DIR-3-KYC to the Central Government on or before 30th April of immediate next financial year.

Provided that every individual who has already been allotted a Director Identification Number (DIN) as at 31st March, 2018, shall submit e-form DIR-3 KYC on or before 31st August, 2018.";

(iii) In the Annexure after Form DIR-3 the following Form shall be inserted, namely:-

"

FORM NO.DIR-3-KYC	KYC of Directors
[Pursuant to rule 12A of The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014]	

Form Language ○ English ○ Hindi

Note-

- All fields marked in * are mandatory files
- In case of Indian nationals, Income-tax Permanent Account Number (Income-tax PAN) is mandatory in all cases even if there is no change in Income-tax PAN. In such cases, director details should be as per Income-tax PAN. In case the details as per Income-tax PAN are incorrect, director/designated partner is advised to first correct the details in Income-tax PAN. Refer instruction kit for details

1. (a) *Director Identification Number(DIN) [ ] [Pre fill]

(b) Name [ ]

2. * Director's name (Enter full name and do not use abbreviations)

(a) First [ ] name

(b) Last [ ] name

(c) Middle [ ] name

3. *Father's Name (Even married women must give father's name)

(a) First [ ] name

(b) Last [ ] name

(c) Middle [ ] name

4. * Whether a citizen of India ○ Yes ○ No

5. * Nationality [ ]

6. * Whether resident ○ in India ○ Yes No

7. *Date of birth (DD/MM/YYYY)

8. *Gender Male Female Transgender

9.Income tax PAN

Verify Income-tax PAN

10.Voter's Identity card number

11. Do You have a Passport Yes No

#Passport number

12. Driving license number

*13. Aadhaar number

@*14. Personal Mobile

@*15. Personal Email ID

16.Permanent residential address

*
Line I

Line II

*
City

*Pin code

*State

ISO country code

Phone

Fax

*Country

17.Whether present residential address is same as permanent residential address Yes No

18. Present residential address

*
Line I

Line II

*City

*Pin		State code	
ISO Fax		country code		Phone

*Country

@Mobile No. and Email id shall be of the Director himself only.

In case of Indian nationals, Passport if not Mandatory, In case of foreign nationals Passport is Mandatory.

Attachments:

List of Attachments

1. * Proof of Identity; Attach
2. * Proof of Address; Attach
3. Optional attachments, if any. Attach

Remove attachment

Verification

I, hereby confirm and verify that the particulars given in the Form herein above are true and also are in agreement with the documents being attached to this form.

(i) The documents being attached to the Form DIR-3KYC belong to me. I further confirm that all required documents have been duly certified by the respective government authority and are being attached to the Form DIR-3 KYC and

(ii) I further confirm that the Mobile No and email ID belong personally to me.

(iii) I am not restrained, disqualified, removed of, for being appointed as director of a company under the provisions of the Companies Act, 2013 including sections 164 and 169, and

(iv) I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Offence Court or Judicial Magistrate Court or High Court or any other Court, and

(v) I have no other allotted DIN other than DIN in which changes are intimated under section 154 of the Companies Act,2013 or a Designated Partner Identification Number under section 7 of the Limited Liability Partnership Act, 2008.

(vi) I shall be liable under section 448 of the Act and under relevant provisions of the Indian Penal Code, 1860 and any other law as applicable, if any statement in this application is found to be false or any material fact is found to be have been omitted.

*To be digitally signed by Applicant

Certification

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification/verification of this form. It is hereby certified that:

- ☐ * I have satisfied myself about the identity of the applicant and his address based on the perusal of the original of the attached document.
  Note: In case where the applicant is residing outside India the particulars have to be verified from the documents duly attested by the attesting authority as prescribed.

- ☐ * I have verified and attested the documents of the applicant based on the Originals documents produced before me.

- ☐ * All required attachments have been completely attached to this application

- ☐ * I have gone through the provisions of The Companies Act, 2013 and rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original records maintained by the Company/applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed.

- ☐ *I further certify that:
  - * Mobile No and email ID belong to the applicant / Director signing the form.
  - * All the required attachments have been completely and legibly attached to this form;
  - *I have kept a copy of this form and attachments thereto, in my records for further reference.
  - *It is understood that I shall be liable for action under section 448 of The Companies Act, 2013 for wrong certifications, if any found at any stage.

*To be digitally signed by

*Category

*Whether Associate or Fellow ○ Associate ○ Fellow

*Membership Number

*Certificate of Practice Number

Modify Check Prescrutiny Submit

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

For office use only: Affix filing details

eForm Service request number (SRN)
eForm filing date (DD/MM/YYYY)

Digital signature of the authorizing officer

This e-Form is hereby approved Confirm

This e-Form is hereby rejected

Date of signing (DD/MM/YYYY)

OR

This e-Form has been taken on file maintained by the register of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the Director and professional. ".

F.No. 01/22/2013 CL-V (Pt-III)]

05/07/18

(K.V.R.Murty) Joint Secretary.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 259(E) dated the 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 671 (E)	18.09.2014
2.	G.S.R. 42(E)	19.01.2015
3.	G.S.R. 839 (E)	05.07.2017
4.	G.S.R.51(E)	22.01.2018
5.	G.S.R.431 (E)	07.05.2018
6.	G.S.R. 558 (E)	12.06.2018

****

[भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 05 जुलाई, 2018

सा.का.नि. ______(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 149 की उपधारा (1), उपधारा (4), उपधारा (6) के खंड (च), धारा 150 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 151, धारा 152 की उपधारा (5), धारा 153, धारा 154, धारा 157, धारा 160, धारा 168 की उपधारा (1) और धारा 170 दवारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) चौथा संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र में 10 **जुलाई, 2018** से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 में,

(i) वर्तमान नियम 11 को उपनियम (1) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा और इस प्रकार से पुनः क्रमांकित किए गए उपनियम (1) के बाद निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(2) केन्द्र सरकार या क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र), या केन्द्र सरकार या क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी उस व्यक्ति जिसने नियम 12 के अनुसरण में निर्धारित समय के भीतर ई-प्ररूप डीआईआर-3-केवाईसी में अपनी विशिष्टताएं सूचित न की हों, के निदेशक पहचान संख्या (डिन) को निष्क्रिय करेगा;

(3) निष्क्रिय किया गया डिन ई-प्ररूप डीआईआर-3-केवाईसी कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 के अधीन यथाविहित फीस के साथ फाइल किए जाने पर ही पुनः सक्रिय किया जाएगा"।

(ii) नियम 12 के बाद, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"12क निदेशक केवाईसी:- प्रत्येक व्यक्ति जिसे इन नियमों के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को निदेशक पहचान संख्या (डिन) आवंटित की गई है, तत्काल आगामी वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल को या उससे पहले केन्द्र सरकार को ई-प्ररूप डीआईआर-3-केवाईसी प्रस्तुत करेगा।

परंतु कि प्रत्येक व्यक्ति जिसे 31 मार्च, 2018 तक निदेशक पहचान संख्या (डिन) पहले से आवंटित की गई है, 31 अगस्त, 2018 को या उससे पहले ई-प्ररूप डीआईआर-3-केवाईसी प्रस्तुत करेगा";

(iii) उपाबंध में प्ररूप डीआईआर-3 के बाद निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप संख्या डीआईआर-3-केवाईसी

निदेशकों की केवाईसी

[कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यताएं) नियम, 2014 के नियम 12क के अनुसरण में]

सत्यमेव जयते

प्ररूप की भाषा **O अंग्रेजी** **O हिन्दी**

टिप्पण -

- *चिन्हित सभी फील्ड भरनी अनिवार्य हैं

- यदि भारतीय नागरिक हैं तो सभी मामलों में आयकर स्थायी खाता संख्या (आयकर पैन) अनिवार्य है चाहे आयकर पैन में कोई परिवर्तन न हुआ हो। ऐसे मामलों में निदेशकों का विवरण आयकर पैन के अनुसार होना चाहिए। यदि आयकर पैन के अनुसार विवरण सही न हो तो निदेशक/पदनामित भागीदार को पहले अपने आयकर पैन के विवरण सही करने का परामर्श दिया जाता है। कृपया विवरण के लिए निर्देश किट देखें।

1. (क) *निदेशक पहचान संख्या ________________
   (ख) नाम ________________

2. *निदेशक का नाम (पूरा नाम भरें तथा संक्षिप्तियों का प्रयोग न करें)

   (क) प्रथम नाम ____________________________
   (ख) उपनाम ____________________________
   (ग) मध्य नाम ____________________________

3. *पिता का नाम (विवाहित महिलाएं भी पिता का नाम भरें)
   प्रथम नाम ____________________________
   उपनाम ____________________________
   मध्य नाम ____________________________

4. *क्या भारतीय नागरिक है O हां O नहीं

5. राष्ट्रीयता ______________________

6. *क्या भारत के निवासी है O हां O नहीं

7. *जन्म की तारीख ________________ (दिन/मास/वर्ष)

8. *लिंग पुरूष O स्त्री O ट्रांसजेंडर O

9. आयकर स्थायी खाता संख्या ______________________

10. मतदाता पहचान पत्र संख्या ______________________

11. क्या आपके पास पासपोर्ट है O हां O नहीं
#पासपोर्ट संख्या ______________

12. ड्राइविंग लाइसेंस संख्या ______________________

13. *आधार संख्या ______________________

14. @*व्यक्तिगत मोबाइल नं. __________________

15. @*व्यक्तिगत ई-मेल __________________

16. स्थायी आवासीय पता
*पंक्ति I ______________________
पंक्ति II ______________________
*नगर ______________________
*राज्य ______________________
*आईएसओ कंट्री कोड ______________________ *पिन कोड __________________
*देश ______________________
*दूरभाष ____________ *फैक्स __________________

17. *क्या वर्तमान आवासीय पता और स्थायी आवासीय पता एक ही है हां O नहीं O

18. वर्तमान आवासीय पता

पंक्ति I ____________________

पंक्ति II ____________________

नगर ____________________

राज्य ____________________

आईएसओ कंट्री कोड ____________________ पिन कोड __________

देश ____________________

दूरभाष ____________________ फैक्स ____________________

@ मोबाइल नम्बर और ई-मेल आईडी निदेशक की अपनी होनी चाहिए।

#यदि भारतीय नागरिक हैं तो पासपोर्ट अनिवार्य नहीं है। विदेशी नागरिक होने पर पासपोर्ट संख्या अनिवार्य है।

संलग्नक

संलग्नकों की सूची

1. *पहचान का प्रमाण **(संलग्न करें)**
2. *आवास का प्रमाण **(संलग्न करें)**
3. वैकल्पिक संलग्नक- यदि कोई हों **(संलग्न करें)**

(संलग्लक हटाएं)

<u>सत्यापन</u>

मैं पुष्टि और सत्यापन करता/करती हूं कि इस प्ररूप में दिए गए सभी विवरण सही है और इससे संलग्न किए जा रहे दस्तावेजों के अनुरूप हैं।

(i) प्ररूप डीआईआर-3-केवाईसी के साथ संलग्न किए जा रहे दस्तावेज मेरे हैं। मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूं कि सभी अपेक्षित दस्तावेज संबंधित सरकारी प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित किए गए हैं और उक्त प्ररूप डीआईआर-3-केवाईसी के साथ संलग्न किए जा रहे हैं और

(ii) मैं यह भी पुष्टि करता/करती हूं कि मेरा मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी व्यक्तिगत हैं।

(iii) मुझे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 और 169 सहित उपबंधों के अधीन किसी कंपनी का निदेशक नियुक्त होने के लिए रोका, अयोग्य या बरखास्त नहीं किया गया है,

(iv) मुझे किसी आर्थिक अपराध न्यायालय अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी करार नहीं किया गया है,

(v) मुझे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 154 के अधीन पहले कोई निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 7 के अधीन कोई पद नामित भागीदार पहचान संख्या आबंटित नहीं की गई है,

(vi) यदि इस आवेदन में दिया गया कोई विवरण मिथ्या पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण सूचना का लोप किया पाया जाता है तो मुझे इस अधिनियम की धारा 448 और भारतीय दंड संहिता 1860 के संबंधित प्रावधानों के अधीन और यथा लागू किसी अन्य कानून के अधीन दंड दिया जा सकता है।

*आवेदक द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर हेतु [ ]

प्रमाणन

मैं घोषणा करता हूं कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणन/सत्यापन के प्रयोजन हेतु सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है। मैं यह प्रमाणित करता हूं कि :-

- ☐ *मै घोषणा करता हूं कि मैंने संलग्न दस्तावेज की मूल प्रति के अवलोकन के आधार पर आवेदक की पहचान के बारें में समाधान कर लिया है।

  टिप्पणः आवेदक के भारत के बाहर निवास करने की स्थिति में ब्यौरे यथाविहित सत्यापन करने वाले प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित दस्तावेजों से किया जाना है।

- ☐ *मैंने प्रस्तुत किए गए मूल दस्तावेजों के आधार पर आवेदक के दस्तावेजों का सत्यापन और साक्ष्यांकन कर लिया है।

- ☐ *इस आवेदन के साथ संलग्न सभी अपेक्षित संलग्नक पूर्ण हैं।

- ☐ *मैंने इस प्ररूप की विषयवस्तु और इससे संबंधित मामलों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और इसके अधीन बनाए गए नियमों को पढ़ा है तथा मैंने कंपनी/आवेदक द्वारा

रखे जा रहे मूल अभिलेखों से उपर्युक्त विशिष्टियों (संलग्नक सहित) का सत्यापन कर लिया है जो कि इस प्ररूप की विषयवस्तु है और इन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया है तथा इस प्ररूप में कोई महत्वपूर्ण सूचना छुपायी नहीं गई है।

- □ *मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि :-
  - *मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने वाले आवेदक/निदेशक के हैं।
  - *सभी अपेक्षित संलग्नक इस प्ररूप के साथ पूर्ण रूप से और पठनीय रूप से संलग्न किये गए हैं।
  - *मैंने आगामी संदर्भ के लिए अपने अभिलेखों में इस प्ररूप और इसके संलग्नकों की एक प्रतिलिपि रख ली है।
  - *यह ज्ञात है कि यदि कभी भी कोई प्रमाणन मिथ्या पाया गया तो मेरे विरुद्ध कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 के अधीन कार्रवाई की जा सकती है।

***अंकीय हस्ताक्षर करने के लिए** ______________ ________

*श्रेणी
* एसोसिएट हैं या फेलो O एसोसिएट O फेलो
*सदस्यता संख्या ______________
*प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र ______________

संशोधित करें **फॉर्म चेक करें** **पूर्व संवीक्षा** **प्रस्तुत**

टिप्पणः धारा 448 और 449 की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें क्रमशः मिथ्या विवरण/प्रमाण-पत्र और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान है।

सिर्फ कार्यालय प्रयोग हेतु

ई-फार्म सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) __________ ई-फार्म जमा करने की तारीख __________ (दिन/मास/वर्ष)

प्राधिकृत अधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर

ई-प्ररूप को अनुमोदित किया जाता है ______________ (दिन/मास/वर्ष)

इस ई-प्ररूप को अस्वीकृत किया जाता है ___________ **(जमा करने की पुष्टि करें)**

हस्ताक्षर की तारीख ______________

या

इस ई-प्ररूप को इलेक्ट्रॉनिक रीति से एवं निदेशक और व्यवसायिक द्वारा दिए गए यथातथ्यता के विवरण के आधार पर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल में रख दिया गया है।"

[फा. सं. 01/22/2013-सीएल-V(पार्ट-III)]

के.वी.आर.मूर्ति
05/7/18

(के.वी.आर मूर्ति)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि.259(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इसमें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधित किए गए:-

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि. 671(अ)	18.09.2014
2.	सा.का.नि. 42(अ)	19.01.2015
3.	सा.का.नि. 839(अ)	05.07.2017
4.	सा.का.नि. 51(अ)	22.01.2018
5.	सा.का.नि. 431(अ)	07.05.2018
6.	सा.का.नि. 558(अ)	12.06.2018